



1419

ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा — 846004

अभिषद् की बैठक दिनांक 17.01.2025 का कार्यवृत्त

समय:— 02:30 बजे अपराह्न

स्थान — कुलपति आवासीय कार्यालय का सभाकक्ष

उपस्थिति:—

1. प्रो० संजय कुमार चौधरी, कुलपति	— अध्यक्ष
2. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	— सदस्य
3. प्रो० अजय नाथ झा	— सदस्य
4. प्रो० विजय कुमार यादव	— सदस्य
5. डॉ० कृष्ण कान्त झा, प्रधानाचार्य	— सदस्य
6. प्रो० शाहिद हसन, विभागाध्यक्ष	— सदस्य
7. डॉ० नौशाद आलम, विभागाध्यक्ष	— सदस्य
8. डॉ० दिलीप कुमार चौधरी	— सदस्य
9. डॉ० फैयाज अहमद	— सदस्य
10. डॉ० अमर कुमार	— सदस्य
11. श्री सुजीत पासवान	— सदस्य
12. श्री लक्ष्मेश्वर राय	— सदस्य
13. श्री इन्द्र कुमार, वित्तीय परामर्शी	— विशेष आमंत्रित सदस्य
14. श्री जानकी रमण निधि, वित्त पदाधिकारी	— विशेष आमंत्रित सदस्य
15. डॉ० अजय कुमार पंडित, कुलसचिव	— सचिव

माननीय अध्यक्ष महोदय को कुलसचिव द्वारा गणापूर्ति की सूचना प्रदान करते हुए बैठक की कार्यवाही प्रारंभ करने की अनुमति मांगी गई। अनुमति प्राप्ति के उपरान्त बैठक की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। कुलसचिव द्वारा बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्वागत करते हुए नव वर्ष की शुभकामना दी गई। अभिषद् के ओर से डॉ० बैद्यनाथ चौधरी द्वारा अध्यक्ष एवं सचिव सहित विश्वविद्यालय प्रशासन को नव वर्ष की शुभकामना दी गई। कुलसचिव-सह-सचिव द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय कुलाधिपति महोदय कार्यालय, पटना से अधिषद् की बैठक दिनांक 27.01.2025 को आयोजित किये जाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। अभिषद् में सूचना ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् अभिषद् की विधिवत् कार्यवाही प्रारंभ की गई।

निम्नांकित मदों पर विचार किया जाय:—

मद सं०	1	अभिषद् की गत बैठक दिनांक 13.12.2024 के कार्यवृत्त के सम्पुष्टि पर विचार।
निर्णय	:	सर्वसम्मति से, अभिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2024 के कार्यवृत्त को सम्पुष्ट किया गया।

मद सं०

निर्णय

- 2 अभिषद् की गत बैठक दिनांक 13.12.2024 के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
- : सर्वसम्मति से, अभिषद् की बैठक दिनांक 13.12.2024 के अनुपालन- प्रतिवेदन को अनुमोदित किया गया।

मद सं०

निर्णय:

- 3 वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार।
- वित्त समिति की बैठक दिनांक 16.01.2025 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया। साथ ही अन्यान्य मद सं०-01 के निर्णय में आंशिक संशोधन करते हुए निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय खेल निदेशालय व डब्ल्यूआईटी निदेशक के कार्यकाल को अधिकतम 11 माह और 65 हजार रुपए के प्रतिमाह मानदेय पर नियुक्ति करने की सहमति बनी। इसके साथ ही यदि दोनों स्व वित्त-पोषित संस्थानों में यदि एक ही व्यक्ति सेवा दे तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त पाँच हजार रुपए का मानदेय देय होगा। अभिषद् सदस्यों द्वारा पद्मभूषण डॉ० शारदा सिन्हा के नाम स्नातकोत्तर संगीत विभाग में चेयर स्थापना के निर्णय एवं बजट में प्रावधान किये जाने हेतु कुलपति-सह-अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया गया एवं डॉ० बैधनाथ चौधरी के प्रस्ताव पर उसी विभाग के अंतर्गत मिथिला के प्रसिद्ध संगीतज्ञ एवं डॉ० सिन्हा के शिक्षक रहे श्री रामचतुर मल्लिक के नाम पर भी चेयर स्थापित किये जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। वित्त समिति द्वारा अनुशंसित वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक को वित्तीय परामर्शी द्वारा संदन में सदस्यों के समक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय व्ययक के विभिन्न भागों में किये गये वित्तीय प्रावधान से अवगत कराया गया, जिसका संज्ञान लिया गया।

मद सं०

निर्णय:

- 4 डॉ० राम लोचन मिश्र, वाणिज्य विभाग, जे० के० कॉलेज, बिरौल दरभंगा की नियुक्ति के प्रसंग में विश्वविद्यालय ज्ञापांक SC/217/24 दिनांक 14.09.2024 के द्वारा गठित त्रिसदस्यीय जॉच समिति का प्रतिवेदन पर विचार।
- डॉ० राम लोचन मिश्र, वाणिज्य विभाग, जे० के० कॉलेज, बिरौल दरभंगा के मामले पर विचार किया गया। विचारोपरांत, इस संबंध में सभी साक्ष्यों के साथ राज्य सरकार से दिशा-निर्देश प्राप्त करने का निर्णय लिया। प्राप्त दिशा-निर्देश अनुरूप अग्रत्तर कार्रवाई करने की सहमति प्रदान की गई।

मद सं०

- 5 बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग, पटना के अनुशंसा के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा भूगोल विषय में स्वीकृत रिक्त पदों पर सहायक प्राचार्य के पद पर किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः

बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग पटना के अनुशंसा एवं शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना के पत्रांक-15/ए 2-10/2024-03.12.2024 के द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय ज्ञापांक संख्या-SC/301/24 दिनांक 17.12.2024 के अधिसूचना के अनुरूप भूगोल, विषय में कुल 27 अभ्यर्थियों को सहायक प्राचार्य के पद पर अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध विश्वविद्यालय द्वारा किये गये नियुक्ति की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

मद सं०

6 डॉ० धीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, सी०एम० जे० कॉलेज, दोनवारीहाट खुटौना, मधुबनी के अनुरोध पर स्वीकृत त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः

सर्वसम्मति से, डॉ० धीरेन्द्र कुमार, सहायक प्राचार्य, अर्थशास्त्र विभाग, सी०एम० जे० कॉलेज, दोनवारीहाट खुटौना, मधुबनी के अनुरोध पर स्वीकृत त्यागपत्र की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान किया गया।

मद सं०

7 श्री अविनाश कुमार सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक, एम० के० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा द्वारा दिनांक 04.04.2017 से 02.11.2023 (06 वर्ष 07 महीना 02 दिन) तक चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति पर विचार।

निर्णयः

श्री अविनाश कुमार सिंह, निम्न वर्गीय लिपिक, एम० के० कॉलेज, लहेरियासराय, दरभंगा द्वारा दिनांक 04.04.2017 से 02.11.2023 (06 वर्ष 07 महीना 02 दिन) तक चिकित्सा अवकाश में रहने के कारण असाधारण अवैतनिक अवकाश की स्वीकृति के मामले पर विचार किया गया। फिलहाल प्रस्ताव को अस्वीकृत किया गया तथा इसे पुनः सीनेट की बैठक के पश्चात् सिंडिकेट की बैठक में उपस्थापित करने का निर्णय लिया गया।

मद सं०

8 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-11/आ० नी०-I-03/2023 (खण्ड) सा० प्र० 19300 पटना-15, दिनांक-13.10.2023 के आलोक में छुटे हुए कर्मियों को उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने पर विचार।

निर्णयः

सर्वसम्मति से, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना ज्ञापांक-11 /आ० नी०-I-03/2023 (खण्ड) सा० प्र० 19300 पटना-15, दिनांक-13.10.2023 के आलोक में छुटे हुए कर्मियों को उच्चतर पद का प्रभार दिये जाने का निर्णय लिया गया।

अन्यान्य मद सं० 01 वर्ष 2015 में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकेत्तर

के द्वारा MJC/CWJC में परित न्यायादेश के आलोक में कुल 8 शिक्षकेत्तर कर्मियों को दिये गये प्रोन्नति की घटनोत्तर स्वीकृति पर विचार।

निर्णय:

सर्वसम्मति से, निर्णय लिया गया कि वर्ष 2015 में आयोजित लिखित परीक्षा के आधार पर शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के प्रोन्नति लाभ से संबंधित सभी समान मामले को चार्ट स्वरूप में समीक्षा के साथ अभिषद् के अगले बैठक में निर्णय लिए जाने हेतु उपस्थापित किया जाय।

अन्यान्य मद सं० 02 अभिषद् सदस्य डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि स्व० परमेश्वर झा, चतुर्थ वर्गीय कर्मी, जे० एन० कॉलेज, नेहरा, दरभंगा के मामले में गठित समिति के निर्णय नहीं होने के कारण अद्यतन भुगतान एवं नियमतीकरण लंबित है, पर विचार किया जाय।

निर्णय:

संबद्धन एवं नई शिक्षण कार्यक्रम समिति को छोड़कर, सभी अधिसूचित समितियों का प्रतिवेदन 15 दिनों के अन्दर कुलपति कार्यालय को हस्तगत कराये जाने का निर्देश माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय द्वारा दिया गया।

अन्यान्य मद सं० 03 अभिषद् सदस्य डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने प्रस्ताव रखा कि विश्वविद्यालय में पेंशनरों के लंबित भुगतान हेतु पेंशन आदालत लगाये जाने एवं श्री कृष्ण कुमार चौधरी, एम० एल० एस० एम महाविद्यालय, दरभंगा के लंबित भुगतान पर पर विचार किया जाय।

निर्णय:

माननीय अध्यक्ष-सह-कुलपति महोदय द्वारा संज्ञान लिया गया।

अन्यान्य मद सं० 04 अभिषद् सदस्य डॉ० बैद्यनाथ चौधरी एवं श्री सुजीत कुमार पासवान ने प्रस्ताव रखा कि 11 दैनिक कर्मी जिनके किये गये कार्य के भुगतान लंबित है, के भुगतान करने पर विचार किया जाय।

निर्णय:

सर्वसम्मति से, 11 दैनिक कर्मी जिनके किये गये कार्य के भुगतान लंबित है के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के जॉच प्रतिवेदन आलोक में कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया।

बैठक के अन्त में कुलसचिव द्वारा सभी सदस्यों को बैठक के सुचारु रूप से संचालन में सहयोग एवं महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाने के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया गया। तदुपरान्त, अध्यक्ष की अनुमति से बैठक समाप्ति की घोषणा की गई।

(डॉ० अजय कुमार पंडित)
कुलसचिव -सह-सचिव

(प्रो० संजय कुमार चौधरी)
कुलपति -सह-अध्यक्ष